पर्यटकों को मिलेगी अब घरों में ठहरने की सुविधा

कैबिनेट ने बेड एंड ब्रेकफास्ट व होमस्टे नीति-2025 को दी मंजूरी, पर्यटन स्थलों पर मिलेगा ठहरने का सस्ता विकल्प

कैबिनेट के फैसले

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग की 'बेड एंड ब्रेकफास्ट व होम स्टे नीति-2025' को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस नीति के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घरों में एक से छह कमरों तक की इकाई को होमस्टे के रूप में पंजीकृत करा सकता है। होम स्टे के तहत अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। कोई भी पर्यटक लगातार सात दिनों तक इस सुविधा का लाभ ले सकता है। होम स्टे संचालकों को पर्यटकों को सुबह नाश्ते की सुविधा भी देनी होगी। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को ठहरने की सस्ती सुविधा मिल सकेगी, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि होम स्टे की अनुमति की प्रक्रिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुआई वाली समिति के माध्यम से पूरी की जाएगी। ग्रामीण

लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। साथ में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ● जागरण

6 कमरों और 12 बेड तक की आवासीय इकाइयों को मान्यता

500 से 750 रुपये तक होगा ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे इकाइयों के लिए पंजीकरण शुल्क

क्षेत्रों में होम स्टे इकाइयों के लिए 500 से 750 रुपये तक का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। वहीं, शहरी या सिल्वर श्रेणी के होमस्टे के लिए 2,000 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। राज्य में पहले ऐसी कोई नीति न होने के कारण होम स्टे संचालकों को केंद्र सरकार के निधि प्लस पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ता था। अब

229 स्थल योजना के तहत चिह्नित किए

2000 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है शहरी या सिल्वर श्रेणी के होमस्टे के लिए

होम स्टे का आनलाइन पंजीकरण up-tourismportal.in पर कराना होगा। योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 229 स्थलों को चिह्नित किया जा चुका है। नीति के लागू होने पर संचालकों को इसके दायरे में होम स्टे का संचालन करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग ने होम स्टे बनाने वालों को वित्तीय सहायता देने का भी प्रविधान नीति में किया था।

कहां-कितने होम स्टे को मंजूरी

अयोध्या मंडल में	19
सुलतानपुर	12
बाराबंकी	12
अमेठी	12
वाराणसी	10
गाजीपुर	10
चंदौली	10
लखनऊ मंडल	23
देवीपाटन	17
चित्रकूट	24
रायबरेली	17
लखीमपुर खीरी	17
हरदोई	17

हालांकि कैबिनेट ने इसे नहीं माना।

इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पर्यटकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2024 में 64.90 करोड़ पर्यटकों ने प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था। इनमें 22,69,067 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। वहीं वर्ष 2023 में 16,01,503 विदेशी पर्यटकों सहित 48 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया था। इन पर्यटकों को रुकने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमरों की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सरकार होम स्टे की नीति लेकर आई है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा की आडिट रिपोर्ट कैबिनेट से पास

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा की 2021-22 की आडिट रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई। अब इस रिपोर्ट को विधानमंडल की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा स्थानीय निकायों के साथ ही माध्यमिक व उच्च शिक्षा जैसे विभाग जो सरकार से ग्रांट लेते हैं की आडिट करता है।

यह और उप्र की अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें